


**SPBahraich** के कुशल निर्देशन में, थाना जरवल रोड पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना व मुस्लिम विवाह अधिनियम से संबंधित धारा 85,115(2),352,351(3) BNS 2023 व डीपी एक्ट व मुस्लिम विवाह अधिनियम- 2023 में 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।



वेब पेशी

वेब पेशी

थाना जरवल रोड जनपद बहराइच



मु0अ0सं0 229/2024 धारा 85,115(2),352,351(3) BNS 2023 व ¼ डीपी एक्ट व ¼ मुस्लिम विवाह अधि0 2023 से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार थाना जरवल रोड बहराइच ।

**दिनांक - 24.08.2024**

**थाना- जरवल रोड**

**विवरण:-** श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री रामानन्द कुशवाहा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कैसरगंज श्री अनिल सिंह के निर्देशन में मुन्न थानाध्यक्ष बृजराज प्रसाद के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 229/2024 धारा 85,115(2),352,351(3) BNS 2023 व ¼ डीपी एक्ट व ¼ मुस्लिम विवाह अधि0 2023 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र मो0 इस्लाम निवासी मोहल्ला दिल्ली दरवाजा थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्य उम्र करीब 23 वर्ष को आज दिनांक 24.08.2024 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुलिस सुरक्षा में भेजा गया ।

**विवरण अभियुक्त:-**

मो0 अरशद पुत्र मो0 इस्लाम निवासी मोहल्ला दिल्ली दरवाजा थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्य उम्र करीब 23 वर्ष ।

**गिरफ्तारी टीम:-**

1.उ0नि0 श्री राणाराज सिंह 2. आनि0 श्री विपेन्द्र सिंह मल्ल 3.हे0का0 धर्मपाल, का0 अमरनाथ यादव, महिला आर0डी कोमल गुप्ता थाना जरवल रोड,बहराइच ।

**फोटो**

